राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

परिचय और मुख्य विशेषताएं

16 अगस्त 2007 को आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को 11वें पंचवर्षीय योजना में 25 हजार करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूरी मिल गई। 2007 से 2008 में 1263 करोड़, 2008 से 2009 में 2891.7 करोड़, 2009 से 2010 में 3777.07 करोड़ और 2010 से 2011 में 6722 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी गई। इस वर्ष के लिए यह राशि 7810.87 करोड़ तय की गई है। आरकेवीवाई के माध्यम से 11वी योजना की अवधि में कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य पूरा करना है।

उद्देश्य

- राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करना।
- राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्र की योजनाओं की क्रियान्वित प्रक्रिया में लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करना।
- कृषि जलवायु परिस्थितियों, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर जिलों और राज्यों के लिए कृषि योजनाएं सुनिश्चित करना।
- केन्द्रीय सरकार के माध्यम से महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करना।
- कृषि और संबद्ध क्षेत्र में किसानों को अधिकतम लाभ उपलब्ध कराना।
- राज्यों की कृषि योजनाओं में स्थनीय जरूरतों, फसलों और प्राथमिकताओं पर अधिक ध्यान देना।
- कृषि और संबद्ध क्षेत्र के विभिन्न घटकों के उत्पादन और उत्पादकता में समग्र तरीके से परिवर्तन लाना।

योजना की प्रमुख सामरिक प्रासंगिकता आरकेवीवाई केन्द्र की प्रायोजित योजनाओं के अलावा अलग से एक योजना है जो कृषि संघ के मंत्रालय द्वारा प्रेशित है। आरकेवीवाई को बनाने के दो सामरिक उद्देश्य थे– पहला था कि राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्र में अधिक आवंटन के लिए प्रोत्साहित किया जाए और दूसरा बेहतर योजना के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्र में आंतरिक विकास उत्पन्न करने के लिए राज्यों को सुविधाजनक बनाया जाए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकासोन्मुख परियोजनाओं को अपनाया जाना चाहिए। और यह तभी हो पाएगा जब राज्य कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए अधिक व्यापक तरीके से योजनाएं बनाई जाएंगी। इस योजना के लिए राज्य सरकार को पूरा पैसा केन्द्र सरकार से मिलता है। लेकिन राज्यों को मिलनेवाला यह धन आवंटन इस बात पर निर्भर करता है कि राज्यों ने अपने कृषि और संबद्ध क्षेत्र की योजनाओं में कितने अतिरिक्त संसाधनों के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है और कितना विकास दर हासिल किया। आरकेवीवाई के तहत केन्द्र सरकार द्वारा कोई योजनाएं, कार्यक्रम या परियोजनाएं निर्धारित नहीं की गई हैं। राज्यों को पूरी छूट दी गई है कि वह अपने राज्य की स्थिति को देखते हुए विकास उत्पन्न करने के लिए सबसे अनुकूल विकल्प का चयन करें ताकि 11वे पंचवर्षीय योजना की अवधि में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 4 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

आरकेवीवाई फंड के लिए पात्रता मानदंड आरकेवीवाई के तहत मिलनेवाली सहायता को प्राप्त करने के लिए राज्य दो स्थिति में पात्र बन सकती हैं जो इस प्रकार हैं :

1. पिछले तीन साल में कृषि में निवेश का औसत (आरकेवीवाई के अर्न्तगत दी गई राशि के अलावा)।
2. जिला कृषि योजनाएं (डीएपी) और राज्य कृषि योजनाएं (एसएपी) तैयार की गई हों।

योजना के संचालन के बाद यह दोनों मानदंड खत्म कर दिए गए। 2008 में जारी हुई योजना आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार डीएपी तैयार करने के बाद राज्यों को एसएपी बनाने के लिए कुछ समय चाहिए था इसलिए एसएपी/डीएपी को पूरा करने की शर्त को खत्म कर दिया गया। बेस लाईन खर्च को भी खत्म कर दिया गया ताकि कृषि और संबद्ध क्षेत्र में खर्च को बढ़ाया जा सके। हालांकि इसका ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ क्योंकि राज्य वार आवंटन अभी भी राज्यों द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्र में होने वाले आवंटन/खर्च पर निर्भर करता है।

राज्यों के लिए आवंटन के मानदंड राज्य योजना आवंटन के अलावा इस योजना के तहत केन्द्रीय सरकार से प्रत्येक पात्र राज्य को मिलनेवाला आवंटन तीन मानदंडों पर आधारित है– असिंचित क्षेत्र (20 प्रतिशत), विकास क्षमता (30 प्रतिशत), और कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए अतिरिक्त आवंटन (50 प्रतिशत)।

आरकेवीवाई में अनुदान उपयोग आरकेवीवाई मुख्य रूप से राज्य की परियोजनाओं पर आधारित एक स्कीम है। हालांकि यह योजना गैर Projectized Mode में राज्य और केन्द्र की मौजूदा योजनाओं के लिए अतिरिक्त परिव्यय प्रदान करती है। आरकेवीवाई फंड राज्यों द्वारा दो स्ट्रीमों में उपयोग किया जा सकता है।

स्ट्रीम 1 – आरकेवीवाई का न्यूनतम 75 प्रतिशत उन विशिष्ट योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाएगा जिन्हें राज्य और जिला योजना के हिस्से के रूप में मंजूरी मिली है।

स्ट्रीम 2 – एक साल में आरकेवीवाई का अधिकतम 25 प्रतिशत फंड राज्य क्षेत्र की मौजूदा योजनाओं को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) योजना के तहत एसएलएससी को गठित किया जाता है। इसमें मुख्य सचिव

(अध्यक्ष) और कृषि सचिव और कृषि विश्वविद्यालय और राज्यों के अतिरिक्त विभागों के अलावा कृषि सहयोग विभाग (भारत सरकार), पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग (भारत सरकार), और योजना आयोग (भारत सरकार) के सदस्य होते हैं। एसएलएससी स्ट्रीम 1 की परियोजनाओं का मूल्यांकन और फिर उन्हें मंजूरी देती है। राज्य का कृषि विभाग योजना के कार्यान्वयन का मुख्य विभाग होता है।

जिला और राज्य कृषि योजनाएं राज्य और जिला स्तर पर एसएपी और डीएपी में लागू होनेवाले विभिन्न कार्यक्रमों के एकीकरण और अभिसरण की आवश्यकता को समझते हुए आरकेवीवाई की दिशा निर्देश बनाए गए हैं। हर जिला के लिए जरूरी है कि अन्य मौजूदा योजनाओं से उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से डीएपी तैयार करें। इन योजनाओं में राज्य, जिला और केन्द्र की योजनाएं शामिल हैं जैसे बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड (बीआरजीएफ), स्वरणजयंति ग्राम स्वराज योजना (एसजीएसवाई), नरेगा, भारत निर्माण।

जिला कृषि योजनाएं व्यापक तरीके से कृषि विकास योजनाओं की वित्तीय आवश्यकताओं और वित्तपोषण स्रोतों को प्रतिबिंबित करती हैं। प्रत्येक जिले में प्राकृतिक संसाधनों और प्रौद्योगिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पशुपालन और मत्स्य, छोटे स्तर के सिंचाई परियोजनाएं, ग्रामीण विकास कार्य, कृषि विपणन योजनाएं, जल संचयन और संरक्षण के लिए योजनाओं को शामिल किया गया है। उसके बाद डीएपी को राज्य कृषि योजनाएं तैयार करने के लिए एकीकृत किया गया।

जिला कृषि योजनाओं की तैयारी की स्थिति डीएपी और एसएपी की तैयारियां आरकेवीवाई कार्यान्वयन की रणनीति की आधारशिला है। डीएपी के लिए राज्यों को 54.30 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं जिसमें से प्रत्येक जिले के लिए 10 लाख की राशि तय की गई है। देश के 615 जिलों में से 602 जिलों के डीएपी और 26 राज्यों के एसएपी भी तैयार हो चुके हैं।

आरकेवीवाई के तहत ली गई परियोजनाएं आरकेवीवाई के तहत राज्य द्वारा कोई विशेष रणनीति, कार्यक्रम या परियोजना तय नहीं की गई है। इस योजना में आवंटन के अलावा इस बात पर ध्यान केन्द्रित किया गया है कि राज्य ऐसी रणनीति और कार्यक्रम बनाए जिससे कृषि और संबद्ध क्षेत्र में विकास के नए विकल्प उत्पन्न हो। राज्यों ने अपने राज्य की स्थिति को देखते हुए आरकेवीवाई के तहत कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसमें फसलें, बागवानी, जैविक खेती, सूक्ष्म/लघु सिंचाई, वाटरशेड विकास, कृषि विपणन और भंडार, उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाएं, पशुपालन, डेयरी विकास, मत्स्य आदि विस्तृत क्षेत्र शामिल हैं। कई आधारभूत संरचनाएं जैसे राज्य बीज फार्म या उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए आवंटन की कमी थी जिन्हें आरकेवीवाई के माध्यम से काफी सहायता मिली है।

हालांकि राज्यों में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में हुए विकास का पूरा श्रेय आरकेवीवाई को नहीं दिया जा सकता क्योंकि राज्य के अन्य कार्यक्रमों ने भी इसमें योगदान दिया है। लेकिन इस योजना को विकास का प्रमुख साधन माना जा सकता है, जिसने कृषि के पुनरुद्धार में तीव्रता प्रदान की है।

राज्य द्वारा कृषि के लिए आवंटन के लिए उठाए गए प्रयाप्त कदम मौजूदा उदहारण यह दर्शाते हैं कि पिछले कुछ सालों में राज्य द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए आवंटन में वृद्धि हुई है। 2006 से 2007 में कुल राज्य प्लान खर्च का 4.88 प्रतिशत कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए आवंटित हुआ था जो 2010 से 2011 में बढ़कर 6.04 प्रतिशत हो गया।

आरकेवीवाई की निगरानी डीएसी में आरकेवीवाई के लिए एक प्रणाली बनाई गई है जिसे आरडीएमआईएस (आरकेवीवाई डेटाबेस और प्रबंधन सूचना प्रणाली) कहा जाता है। इसके माध्यम से आरकेवीवाई के तहत चल रहीं योजनाओं से संबंधित जानकारी मिल सकेगी और प्रत्येक परियोजना की प्रगति और विवरण का पता चल सकेगा। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक राज्य को आरकेवीवाई के अंदर लागू होने वाली सभी परियोजनाओं के अनुमोदन और कार्यान्वयन की जानकारी आरकेवीवाई की वेब्साईट पर देनी है। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इस प्रणाली से सभी हितधारकों को योजनाओं के परिणाम और प्रभाव के बारे में जानकारी मिल पाएगी।

निष्कर्ष आरकेवीवाई ने कृषि के बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं/क्रिया कलापों के सशक्तिकरण के लिए आर्थिक संसाधन देने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। अनुभव यह रहा है कि राज्यों में इससे कृषि में निवेश बढ़ा है। इससे कृषि में अपेक्षा और उत्साह का वातावरण तैयार हुआ है जो दश की खेती और किसानों के लिए निश्चय ही अच्छा है।